[illegible] उपखण्ड अधिकारी, सीकर

[illegible] अधिकारी– जय कौशिक (आर.ए.एस)

[illegible] 55 / 2015

इकबाल बनाम कजोड

[illegible] अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी
[illegible] आदेश 9 नियम 7 व 9 सहपठित धारा 151 सीपीसी

आदेश

दिनांक – 15.05.2024

[illegible] द्वारा की ओर से आवेदन पेश किया गया जिसका संक्षेप में [illegible] है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 148 एवं 149 वाके ग्राम [illegible] जिसके नये खसरा नम्बर 369 रकबा 3.5700 हैक्ट वाके [illegible] तहसील व जिला सीकर है जिसके सम्बन्ध में अप्रार्थीगण संख्या [illegible] संख्या 337 / 1989 उनवानी कजोड बनाम इकबाल आदि में [illegible] को प्रार्थी इकबाल व रमजान के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही [illegible] 1993 को एकतरफा निर्णय एवं डिक्री पारित की गई थी। [illegible] प्रार्थी इकबाल द्वारा आवेदन 9 नियम 13 सीपीसी का [illegible] 33 / 2005 न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किया गया था जो कि [illegible] को कोस्ट पर स्वीकार कर उक्त निर्णय एवं डिक्री अपास्त की [illegible] इकबाल को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया था तथा उक्त [illegible] प्रकरण में दिनांक 02.06.2007 को अपना जवाबदावा भी पेश कर [illegible]

[illegible] हाजा के आदेश दिनांक 03.05.2007 के विरूद्ध माननीय [illegible] मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी संख्या 4248 / 2007 एवं [illegible] हुई थी, जिनमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 11.03.2007 को [illegible] का आदेश दिनांकित 03.05.2007 को अपास्त कर प्रकरण इस निर्देश [illegible] हाजा में रिमाण्ड किया गया कि उक्त आवेदन संख्या 33 / 2005 [illegible] हाजा में रिमाण्ड किया गया कि उक्त आवेदन संख्या 33 / 2005 [illegible] अधिनियम पर उभयपक्षों को सुना जाकर पुनः निर्णय पारित किया [illegible] राजस्व मण्डल अजमेर के उक्त निर्णय के द्वारा प्रकरण न्यायालय [illegible] दर्ज किया गया परन्तु दिनांक 04.03.2015 को प्रार्थी इकबाल की [illegible] के कारण प्रार्थना–पत्र अमद हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया [illegible] कारण प्रार्थी इकबाल द्वारा यह आवेदन संख्या 55 / 2015 अन्तर्गत [illegible] 7 एवं 9 सीपीसी के तहत पेश किया गया था। इस आवेदन को इस

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर (राज.)

स्वीकार किया जाता है। इस निर्णय की एक प्रति मोहम्मद रमजान बनाम कजोड में शामिल रहे। चुंकि इसलिए उभय पक्षकारान को हिदायत दी जाती है कि कार्यवाही करें तथा दिनांक 04.06.2024 को मूल दावा में हो।

दिनांक 15.05.2024 को मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया ।

(जय कौशिक)

उपखण्ड अधिकारी सीकर

उपखण्ड अधिकारी सीकर

क्टर एवं उप जिला मजि

तारीख फैसला	तारीख दाखिल दफ्तर

मुहाफिज खाना